न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00078 (78/2019) 225 आरटीएक्ट

1. सुखदेव सिह पुत्र. चेतसिंह जाति जटसिख निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. मकीतसिंह पुत्र अजमेर सिह
3. गुरतेज सिंह उर्फ ठाणासिंह पुत्र अजमेर सिह
4. संरजीत कौर पत्नी अजमेर सिह
5. सुखमन्द्र कौर पुत्री अजमेर सिह
6. अमरजीत कौर पुत्री अजमेर सिंह

जाति जटसिख निवासी पन्नीवाला मोरिका देसू जोधा, तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. बीकर सिह पुत्र जोरासिंह
2. प्रताप सिह पुत्र जोरा सिंह
3. तरसेम सिंह पुत्र. जोगेन्द्र सिह
4. सिमरजीत कौर पुत्र जोगेन्द्र सिह
5. आत्मासिंह पुत्र. जोरा सिंह

जाति जटसिख निवासी नौरंगदेवसर तहसील व जिला हनुमानगढ

6. गुरमिसनसिंह पुत्र बोगासिह जाति जट सिख निवासी नोरंगदेसर त0 व जिला हनुमानगढ।
7. बिन्द्रकौर पुत्री फिनो पुत्री करतार कौर पत्नी प्रेमसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुद्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. मिठो पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री करतार कौर पत्नी प्रेमसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. ठानासिंह पुत्र जगजीत सिह उर्फ जगतसिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. श्रीमति हरदयाल कौर पत्नी स्व0 गाबासिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. गुरदीप सिंह
12. नत्थासिंह

पि0 स्व0 गाबासिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदेसर त व जिला हनुमानगढ।

13. अमर सिंह पुत्र बीकरसिंह उर्फ कीकरसिंह
14. मिठूसिंह पुत्र बीकरसिंह उर्फ कीकरसिह
15. चमन दीप कौर पत्नी कश्मीरासिंह
16. कुलविन्द कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह
17. राजपालसिह पुत्र हाकम सिंह
18. जगदीप सिह पुत्र सुखदेवसिंह
19. सतनामसिंह पुत्र. सुखदेव सिंह

जाति जटसिख निवासीयान नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ

20. मांगीराम
21. विक्रम

पि रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22. दलीप कौर पत्नी करनेल सिह जाति जटसिख
23. बलविन्द्र सिह पुत्र करनेलसिह
24. सुखविन्द्र सिह पुत्र करनेले सिह
25. तेजा सिह पुत्र विधान सिंह पुत्र हरीसिंह
26. सीतासिंह पुत्र विधान सिंह पुत्र हरीसिंह
27. हरनेक सिह पुत्र रामसिंह

जाति जटसिंख निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ

28. रणजीत सिह पुत्र गुरदेव सिंह
29. सुरजीतसिह पुत्र गुरदेव सिंह

अकवाम जटसिख निवासीयान नारंगदेसर हाल आबाद गांव पक्का खुर्द चक हीरासिंहवाला तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा

30. मन्दर सिंह
31. बलजीत कौर पत्नी बाबूसिंह जाति जअसिख निवासी गुरूसर चक 14 एंचएमएच ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.03.2017 द्वारा सहायक कलक्टर हनुमानगढ प्र. सं. 307/2016 बअनवानी बीकरसिह बनाम आत्मासिंह

श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बलविन्द्र सिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रिछपालसिंह बहल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2
श्री देव दत्त भिड़ासरा अधिक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 18, 19, 31
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक:—15.07.2019

Web Copy - Not Official

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 के पिता जोगेन्द्र सिह ने आवेदन पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रार्थना—पत्र की चरण संख्या 3 की उप चरणों में विभाजित कृषि भूमि का खाता प्रार्थीगण को अलग अलग कायम करने का अधिकारी मानते हुए दौराने वाद प्रश्नगत भूमि को घरेलू विभाजन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दीगर व्यक्तियों के पक्ष में रहन बैय व अन्तरित नहीं करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिनांक 03.10.2016 को प्रदान किये गये रहन बैय व मुन्तकिल एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश में संशोधन कर दिनांक 23.03.2017 को प्रश्नगत भूमि में रहन करने की सीमा तक निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए बैय तथा मुन्तकिल करने पर निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 के पिता जोगेन्द्र सिह ने रेस्पोडेण्ट संख्या 5 आत्मासिंह के साथ सभी संयुक्त खातों की भूमि बाबत घोषणा व विभाजन का वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पेश किया था। अपीलाण्ट का केवल मात्र चक 13 एनडीआर के खात संख्या 1121/107 की 2.656 है. भूमि में संयुक्त खाता ममें भूमि है। अन्य खातों में भूमि में कोई हित नहीं है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 5 आत्मासिंह पुत्र जोरासिह के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त समस्त भूमि के सभी काश्तकारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के अधिवक्ता के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात् रहन की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कर दी लेकिन बैय व मुन्तकिल आदेश को यथावत रख दिया जो गलत है। दावा व दरख्वास्त मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा वांछित अनुतोष एवं रेस्पोडेण्ट सं0. 18, 19, 31 द्वारा प्रस्तुत क्रास आब्जेशन पर कोई आपत्ति नही है। अधीनस्थ न्यायायल ने जो रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के विरूद्ध जो स्थगन जारी किया है वह विधिक प्रावधानों के अनुरूप है। इसलिए अगर रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के विरूद्ध जारी स्थगन को यथावत रखते हुए आदेश पारित किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 18, 19 31 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि उनके द्वारा अपील में क्रॉस आब्जेशन प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने चक 13 एनडीआर, व चक 7 आरपी की संयुक्त खाता की भूमि में रेस्पो0 5 आत्मासिंह के विरूद्ध अपनी संयुक्त खाता की भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा बीकर सिंह वगैरह ने चाही थी, जिस अपीलाधीन निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 के आपसी सहमति के आधार पर रहन की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कर बैय व मुन्तकिल की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी कर दी जो प्रभावित पक्षकारों को बिना सुने पारित की गई है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट आत्मासिंह के अतिरिक्त किसी भी अन्य सह काश्तकार के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। मृतक व्यक्तियों को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 18., 19 व 31 की हद तक जारी स्थगन को निरस्त किया जावे एवं क्रॉस आब्जेशन स्वीकार किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रार्थना–पत्र एवं अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध व प्रभावित पक्षकारान को बिना सुने पारित किया गया होने के कारण एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 से उनके द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 में संशोधन किया जाकर विवादित आराजी बाबत प्रदत्त निषेधाज्ञा को रहन करने की सीमा तक निरस्त करते हुए प्रश्नगत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का देहान्त दावा दायरी से पूर्व ही हो चुका है इसके संबंध में अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ आवेदन पत्र वारिसान तस्दीक अजमेर सिंह की फौटो प्रति प्रस्तुत की है। लेकिन अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र में अजमेर सिंह के वारिसान को बिना पक्षकार बनाये मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है एवं आवेदन पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 खानो, 19 धन्नासिंह, अप्रार्थी सं0 24 विधान सिंह, अप्रार्थी संख्या 25 केला सिंह, अप्रार्थी संख्या गेलासिह भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने से पूर्व फौत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया जाना प्रतीत होता है। जहां तक रेस्पोडेण्ट संख्या 18, 19 व 31 के क्रॉस आब्जेशन का सम्बन्ध है उसमें भी अपील में वर्णित पक्षकारान के फौत होने के तथ्य की ताईद करता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 31 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 20 मांगीराम से भूमि खरीद करने के आधार पर अपील में पक्षकार बने हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 18, 19 को भी विचारण न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपील प्रकरण पर गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया होने से एवं प्रभावित पक्षकारान को बिना साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिन पक्षकारों के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है उनके विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है जबकि मात्र रेस्पोडेण्ट सं0 5 आत्मासिंह के विरूद्ध ही अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। रेस्पोडेण्ट आत्मा सिंह ने न तो काई अपील प्रस्तुत की है और न ही अपील में उसकी और किसी प्रकार की पैरवी/आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मासिंह की भूमि में संबंध में बेचान व मुन्तकिल नहीं करने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि प्रकरण में अधिकांश पक्षकारान को सुना नहीं गया है कुछ मृत पक्षकारान एवं उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिए बिना ही उनके विरूद्ध आदेश जारी कर दिया गया है जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 18, 19 व 31 का क्रास ऑब्जेक्शन स्वीकार किये जाते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेण्ट सं0 5 आत्मा सिंह की हद तक यथावत रखा जाने एवं शेष पक्षकारों के विरूद्ध जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 18, 19 व 31 का क्रास ऑब्जेक्शन स्वीकार कर सहायक कलक्टर हनुमानगढ अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2017 रेस्पोडेण्ट सं0 5 आत्मा सिंह की हद तक यथावत रखा जाता है एवं शेष पक्षकारों के विरूद्ध जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णिय शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस) 15/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official